


345



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2679]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 30, 2014/ पौष 9, 1936

No. 2679]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 30, 2014/PAUSH 9, 1936

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मल्ट्युपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2014

का.आ. 3318 (अ).—भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 15 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार परिषद् के साथ परामर्श से एतद्वारा उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में आगे निम्नलिखित और संशोधन करती है, नामतः-

भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984, की प्रथम अनुसूची में, उपशीर्षक 'डिग्रीज' के तहत क्रम संख्या 82 के, उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या व प्रविष्टियां शामिल की जायेंगी, नामतः-

1	2	3
"83 त्रिपुरा विश्वविद्यालय 2009-10 के दौरान पशुचिकित्सा विज्ञान और पशुपालन कॉलेज, आर.के.नगर, अगरतला (त्रिपुरा) में भर्ती विद्यार्थियों के संदर्भ में:-	पशुचिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक	बी.बी.एससी और ए.एच. (यह योग्यता पशुचिकित्सा योग्यता केवल तभी मानी जाएगी, जब यह 3 सितम्बर, 2014 को प्रदान की गई हो तथा न इस दिनांक से पहले और न बाद में।)"

[फा.सं.- 52-22/2009-एलडीटी (बीती)]

राजबीर सिंह राणा, संयुक्त सचिव

